जनपद हरदोई

प्रेस नोट- थाना सुरसा दिनांक 02.12.2024

थाना सुरसा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 384/24 धारा 305/331/317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के संबंध में-

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2024 को वादी सुजीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुखदेव सिंह निवासी सेमरा चौराहा थाना सुरसा जनपद हरदोई द्वारा थाना सुरसा पर तहरीर दी गई कि वादी की सेमरा चौराहे पर स्थित परचून की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा दुकान के गल्ले मे रखी नगदी चोरी कर ले गए हैं। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना सुरसा पर मु0अ0सं0 384/24 धारा 305/331 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुरसा पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी व सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के माध्यम से उपरोक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त विमलेश पुत्र रामकिशन उर्फ रमन निवासी ग्राम लालपुर कंधरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को 6,100 रुपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 29.11.2024 की रात्रि को सेमरा चौराहा स्थित परचून की दुकान में छत पर लगे जाल के सहारे से नीचे उतरकर गल्ले मे रखे 15,000 रुपये नगदी चोरी कर लिये थे। अभियुक्त द्वारा बरामद रुपयों के अतिरिक्त शेष रुपये खर्च कर दिये गये।

बरामदगी का विवरण

- 6,100 रूपये नगदी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विमलेश पुत्र रामकिशन उर्फ रमन निवासी ग्राम लालपुर कंधरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अनेक पाल सिंह थाना सुरसा जनपद हरदोई।
2. उ0नि0 कृष्ण गोपाल पांडेय थाना सुरसा जनपद हरदोई।
3. का0 शिवकुमार थाना सुरसा जनपद हरदोई।
4. का0 युवराज सिंह थाना सुरसा जनपद हरदोई।